HRA Saxette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 963] No. 963] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2006/भाद्र 7, 1928 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2006/BHADRA 7, 1928

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2006

का.आ. 1376(अ),—खादी और ग्रामोद्योग अधिनयम, 1956 (1956 का 61) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तवों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित कार्य करने वाले संयुक्त सचिव, कृषि एवं ग्रामोण उद्योग मंत्रालय को आयोग की बैठकों और उसकी चर्चाओं में भाग लेने के लिए नामित करती है। नामित अधिकारी को मताधिकार नहीं होगा।

ं [फा. सं. 6(1)/2006-केवीआई] शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2006

S.O. 1376(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby nominates the Joint Secretary, Ministry of Agro and Rural Industries, handling work relating to Khadi and Village Industries Commission in the Ministry, to attend the meetings of the Commission and take part in the discussions thereof. The nominated officer shall not have the right to vote.

[F. No. 6(1)/2006-KVI] SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.